न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/124/2025 रजि0 न0 2025/321

अपीलार्थीः– प्रत्यर्थीः–

श्री प्रतापसिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)। 301701

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन 28.06.2025 को प्रस्तुत कर दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अलवर भास्कर संस्करण दिनांक 21.06.2025 में डी.सी. को भेजी रिपोर्ट में ए.सी.एम, ए.डी.एम. भी लपेटे में नायाब तहसीलदार को दिया नोटिस की अगर प्रकाशित हुई है जिसमें (सीरावास में सरिस्का की 25 बीघा गैर खातेदारी जमीन को खातेदारी चढाने का मामला) की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियाँ देवें जिसमें डी.एम. आर्तिका शुक्ला की जो भूमिका रही का विवरण देवें की सूचना चाही गई ।
4. सूचना आवेदन के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 19.08.2025 को उपस्थित आवें।
6. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील 2025/1158 दिनांक 22.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन संख्या 293980876250279 दिनांक 01.07.2025 के क्रम में RTI online portal पत्र संख्या 6744450241 दिनांक 16.07.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वांछित सूचना पूर्ण विषिष्टीकृत नहीं है माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रकरण ब.उ. रसिकलाल एम. मार्डिया वि. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड प्रकरण संख्या CIC/TA/A/2007/00522 अन्तर्गत दिनांक 06.08.2007 को निर्णय पारित कर माना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर कोई भी नागरिक किसी भी लोकप्राधिकारी से सूचना/स्पष्टीकरण मांगने के अधिकारी नहीं है। अतः वाछित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ), 6(1)बी, 7(9) एवं उक्त निर्णय के अनुक्रम में अदेय है, तदानुसार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है ।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
8. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर